उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5

संख्या-73/2026/1211जे0/22-5-2026-1200(07)/2017

लखनऊ : दिनांक 12 अक्टूबर, 2026

वारण्ट

उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-38083/सामा-1(3)/56/मानसिक बंदी-स्था0/26, दिनांक 06-10-2026 द्वारा **जिला कारागार, आजमगढ़ में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी धर्मेन्द्र गुप्ता पुत्र श्री उत्तमचन्द गुप्ता** को मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़ द्वारा मानसिक रोग से ग्रस्त पाये जाने एवं उनकी संस्तुति के क्रम में उक्त बंदी को उपचार हेतु मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी भेजे जाने की अनुमति मांगी गयी है।

2- अतएव उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-479 एवं प्रिजनर्स एक्ट-1900 की धारा-30(1) के अन्तर्गत आदेशित किया जाता है कि उक्त बंदी को मानसिक रोग के उपचारार्थ मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी स्थानान्तरित कर दिया जाये तथा स्वस्थ होने के उपरान्त दण्ड की शेष अवधि भोगने हेतु उन्हें जिला कारागार, आजमगढ़ वापस भेज दिया जाये।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-73/2026/1211जे0(1)/22-5-2026-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखितको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाऐं, उ0प्र0 लखनऊ को उक्त पत्र दिनांक 06-10-2026 के संदर्भ में मूल संलग्नकों सहित।**(संलग्नक यथोक्त)**

2- जिलाधिकारी, आजमगढ़ ।

3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, आजमगढ़ ।

5- प्रमुख अधीक्षक, मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।